p 32

संख्याः 784 /I(2)/2013-07(1)/08/2009

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2013

विषयः– आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूंजी की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 204/प्रनि0/पिटकुल/जी–1 दिनांक 01.02.2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0ई0सी0 से प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूंजी के रूप में कुल रू0 3062.00 लाख (रू0 तीस करोड बासठ लाख मात्र) संलग्न प्रपत्र बी0एम0 –15 के कालॅम–1 में अंकित लेखा शीर्षक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष होने वाली बचतों से पुनर्विनियोग कर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

आर0ई0सी0 की योजना	अंशपूंजी के रुप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
आर0ई0सी0– द्वितीय	3062.00
कुल योग	**3062.00**

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रुप में अंशपूंजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूंजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2013 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(iv) प्रस्तर–1 में वर्णित उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्यो को समयबद्व रूप निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय तथा इस हेतु आर0ई0सी0 से ऋण भी यथाआवश्यकता अवमुक्त कराया जाय।

(v) उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2

D:\pradeep rawat\Budget_G.O._2012-2013\PTCUL_BUDGET_2011-12.doc

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालन सुनिश्चित की जायेगी।

(vii) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत नियमों एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

(viii) योजनाओं में अंशपूंजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी।यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अंशपूंजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।

(ix) परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण- 190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-06-पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश 30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1112 /XXVII(2)/2012, दिनांक 25मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- बी0एम0 15

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्याः 7840/I(2)/2013-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2- महालेखाकार, आडिट इन्दिरा, नगर देहरादून।
3- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
4- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6- जिलाधिकारी, देहरादून।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9- नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11- मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12- विशेष सैल, ऊर्जा।
13- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
14- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2012–2013 आयोजनागत अनुदान सं0–21

नियन्त्रक अधिकारी–प्रमुख सचिव–वित्त विभाग

(रू0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–जल विद्युत उत्पादन 190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 05–ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन 30–निवेश/ऋण 840000	–	533800	306200	4801– बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05– पारेषण एवं वितरण 190– सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 06– पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश 30– निवेश/ऋण 100000	406200	533800	बजट व्यवस्था की कमी के कारण
840000		533800	306200	100000	406200	533800	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सामाओं का एवं प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्याः 1112 /वि0अनु–2/2013
देहरादूनः दिनांकः 25 मार्च, 2013
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,
महालेखाकार,
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग
माजरा, देहरादून।

संख्याः–1112(1)/वि0अनु0–2/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सी0पी0एण्ड ओ0, सचिवालय, देहरादून।
2– ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव